सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

अशोक का शिलालेख कालसी, जिला-देहरादून, उत्तराखंड के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Asoka Rock Edict at Kalsi, District – Dehradun, Uttarakhand

अशोक का शिलालेख कालसी, जिला-देहरादून, उत्तराखंड के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Asoka Rock Edict at Kalsi, District – Dehradun, Uttarakhand

विषय – सूची		
अध्याय I **प्रारंभिक**		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-3
अध्याय II **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि**		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	4
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	4
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	4-5
अध्याय III **संरक्षित संस्मारक - अशोक का शिलालेख कालसी, जिला-देहरादून, उत्तराखंड का स्थान और अवस्थिति**		
3.1	संस्मारक का स्थान और अवस्थिति	6
3.2	संस्मारक की संरक्षित सीमा	7
	3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख के अधिसूचना मानचित्र/योजना	7
3.3	संस्मारक का इतिहास	7
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि)	7
3.5	वर्तमान स्थिति	7
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति-स्थिति का आकलन	7
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	7
अध्याय IV **स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो**		
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	8
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	8
अध्याय V **प्रथम अनुसूची एवं सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना**		
5.1	संस्मारक की सर्वेक्षण योजना	9
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	9
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	9
	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	9

	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	9
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि	9
	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई (क्षेत्र-वार)	10
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन यदि उपलब्ध हों	10
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	10
	5.2.8 संस्मारक तक पहुंच	10
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	10
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	10
अध्याय VI संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	11
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	11
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	12
6.4	पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग	12
6.5	संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर	12
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	12
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	12
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	12
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	12
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	12
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	12
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना	13
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	13
	6.13.1 मरम्मत एवं नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	13
	6.13.2 पुनर्निर्माण	13-14
	6.13.3 नया निर्माण	14-15
6.14	आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन	16
अध्याय VII स्थल विशिष्ट सिफारिशें		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	17
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	17

CONTENTS

CHAPTER I PRELIMINARY		
1.1	Short title, Extent and Commencements	18
1.2	Definitions	19-20
CHAPTER II Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended		
2.1	Background of the Act	21
2.2	Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws	21
2.3	Rights and Responsibilities of Applicant	21-22
CHAPTER III Location and Setting of Protected Monument - Asoka Rock Edict at Kalsi, District – Dehradun, Uttarakhand		
3.1	Location and Setting of the Monument	23
3.2	Protected Boundary of the Monument	24
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	24
3.3	History of the Monument	24
3.4	Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.)	24
3.5	Current Status	24
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	24
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	24
CHAPTER IV Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	25
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	25
CHAPTER V Information as per First Schedule and Survey Plan		
5.1	Survey Plan of the Monument	26
5.2	Analysis of surveyed data	26
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	26
	5.2.2 Description of built up area	26
	5.2.3 Description of green/open spaces	26
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	27
	5.2.5 Existing Heights of buildings (Zone wise)	27
	5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings	27

	5.2.7 Public amenities	27
	5.2.8 Access to Monument	27
	5.2.9 Infrastructure services	27
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies	27
CHAPTER VI Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument		
6.1	Architectural, Iconographic, historical and archaeological value	28
6.2	Sensitivity of the Monument	28
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	28
6.4	Land-use to be identified	29
6.5	Archaeological heritage remains other than Protected Monument	29
6.6	Cultural landscapes	29
6.7	Significant natural landscapes	29
6.8	Usage of open space and constructions	29
6.9	Traditional, historical and cultural activities	29
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	29
6.11	Traditional architecture	29
6.12	Developmental plan, as available, by the local authorities	29
6.13	Permissible Building related parameters	30
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	30
	6.13.2 Reconstruction	30
	6.13.3 New Construction	30-32
6.14	Visitor facilities and amenities	32
CHAPTER VII Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	33
7.2	Other Recommendations	33

Annexure		
अनुलग्नक-I Annexure-I	संस्मारक - अशोक का शिलालेख कालसी, जिला-देहरादून, उत्तराखंड की सर्वेक्षण योजना Survey plan of the Monument - Asoka Rock Edict at Kalsi, District – Dehradun, Uttarakhand	34
अनुलग्नक-II Annexure-II	संस्मारक की अधिसूचना Notification of the Monument	35-37
अनुलग्नक–III Annexure-III	संरक्षित क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के चित्र Images of the Protected Monument and its surrounding areas	38-43

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारक - **"अशोक का शिलालेख कालसी, जिला-देहरादून, उत्तराखंड"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डीआईटी यूनिवर्सिटी, देहरादून के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप-नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 22.12.2022 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"अशोक का शिलालेख कालसी, जिला-देहरादून, उत्तराखंड" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय I
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित संस्मारक – **"अशोक का शिलालेख कालसी, जिला-देहरादून, उत्तराखंड"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ़) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है **(i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और **(ii) विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत

अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

संरक्षित संस्मारक - अशोक का शिलालेख कालसी, जिला-देहरादून, उत्तराखंड का स्थान और अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान और अवस्थिति:

संरक्षित संस्मारक देहरादून के कालसी में स्थित है। इसके स्थान के भौगोलिक निर्देशांक हैं:

अक्षांश 30°31'04.8"N; देशांतर 77°50'53.6"E.

संरक्षित संस्मारक पूर्वी तरफ यमुना नदी के किनारे कृषि भूमि से और उत्तरी तरफ एक आरक्षित वन से घिरा हुआ है।

निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, देहरादून है, जो 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और निकटतम बस अड्डा, देहरादून बस अड्डा है, जो संरक्षित संस्मारक से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

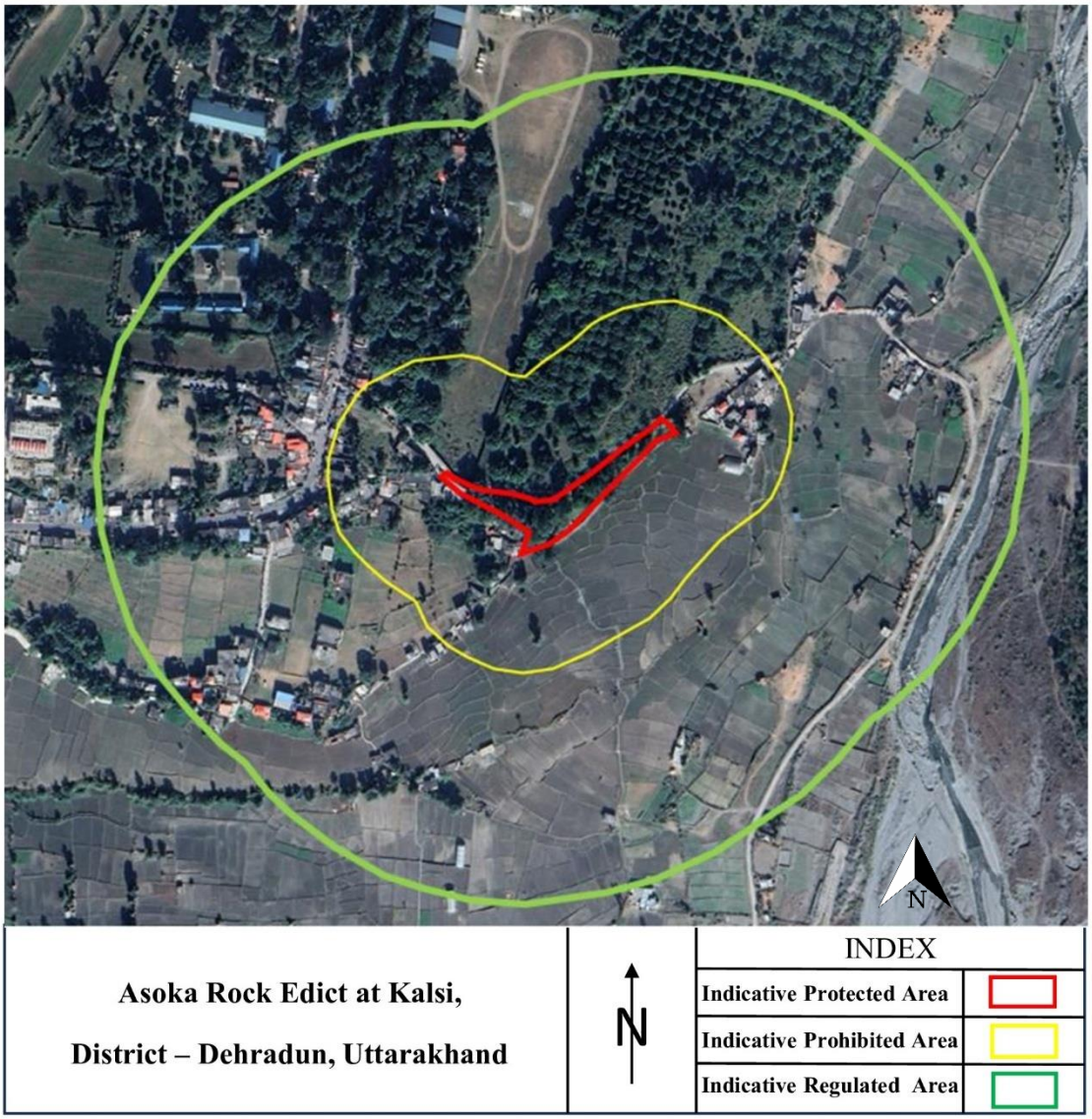

चित्र 1: अशोक का शिलालेख कालसी, जिला-देहरादून, उत्तराखंड का स्थान दर्शाता उपग्रह चित्र

3.2 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारक – **"अशोक का शिलालेख कालसी, जिला-देहरादून, उत्तराखंड"** की संरक्षित सीमा **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

संरक्षित संस्मारक – **"अशोक का शिलालेख कालसी, जिला-देहरादून, उत्तराखंड"** की अधिसूचना **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.3 संस्मारक का इतिहास:

कालसी में शिलालेख अशोक के सभी 14 शिलालेखों वाला एकमात्र शिलालेख है, जो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह बौद्ध धर्मों के प्रति उनके समर्थन और अपने लोगों के कल्याण पर केंद्रित उनके दयालु प्रशासन को उजागर करता है। अशोक के धर्मों में करुणा, सत्यनिष्ठा, आत्म-नियंत्रण और सौम्यता जैसे गुण शामिल हैं, जबकि हिंसा, क्रूरता और ईर्ष्या की निंदा की गई है। शिलालेख में बड़ों के प्रति सम्मान, परिवार और दोस्तों के प्रति उदारता, धन संचय में संयम और सभी जीवों के प्रति दयालुता पर जोर दिया गया है। ये सिद्धांत अशोक के नैतिक शासन और सामाजिक सद्भाव[1] के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

ये शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून जिले में कालसी से लगभग 2 किलोमीटर दूर यमुना नदी के पश्चिमी तट पर एक बड़ी क्वार्टजाइट चट्टान पर उत्कीर्ण हैं। शिलालेख का नाम पास के एक गांव कालसी के नाम पर रखा गया है। यह शिलाखंड 3 मीटर ऊंचा, 3 मीटर चौड़ा और आधार पर लगभग 2.4 मीटर गहरा है। दक्षिण-पूर्वी आकार सतह समतल की गई है, लेकिन समान रूप से नहीं, जो हालांकि सतह के प्राकृतिक रूप के समान है। मौसम की भीषण स्थिति से बचाने के लिए संरक्षित संस्मारक को एक गुंबदनुमा संरचना में रखा गया है।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारक की स्थिति - स्थिति आकलन:

संरक्षित संस्मारक का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विशेष अधिकार क्षेत्र है। संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक-III** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

स्थल पर प्रतिदिन औसतन 70-80 पर्यटक आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा यात्रा के अवसर पर यह संख्या प्रतिदिन 1,000-1,200 व्यक्तियों तक हो जाती है।

---

[1] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (देहरादून सर्कल)

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो

4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कोई ज़ोनिंग विनियम या मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया है। संरक्षित संस्मारक **कालसी ग्राम पंचायत** के क्षेत्र में स्थित है।

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा कोई भूमि-उपयोग योजना, मास्टर प्लान, ज़ोनिंग विनियम तैयार नहीं किए गए हैं, इसलिए भूमि-उपयोग योजना, मास्टर प्लान, ज़ोनिंग विनियम आदि तैयार करते समय इन धरोहर उप-विधियों में उल्लिखित प्रावधानों पर विचार करना और उन्हें शामिल करना अनिवार्य है। आवास विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार **'भवन निर्माण एवं विकास अधिनियम, उत्तराखंड, 2011'**, में निर्दिष्ट सभी अन्य विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम, जब भी संशोधित किए जाएंगे, लागू होंगे। हालाँकि, इन धरोहर उप-विधियों के अध्याय VI के पैरा 6.13 में निर्दिष्ट भवन संबंधी मापदंड संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1)/सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना

5.1 संस्मारक की सर्वेक्षण योजना:

अशोक का शिलालेख कालसी, जिला-देहरादून, उत्तराखंड की सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

संरक्षित क्षेत्र लगभग 1.15 एकड़ है।

प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 21.31 एकड़ है।

विनियमित क्षेत्र लगभग 107.42 एकड़ है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

उत्तर: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में एक सेना शिविर होने के कारण कोई निर्मित क्षेत्र नहीं है।

पूर्व: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में बहुत कम आवासीय भवन मौजूद हैं।

दक्षिण: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में बहुत कम आवासीय भवन मौजूद हैं।

पश्चिम: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक भवन मौजूद हैं। विनियमित क्षेत्र में घनी आवासीय और वाणिज्यिक इमारतें मौजूद हैं।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

उत्तर: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में घनी वनस्पति (सेना शिविर) मौजूद है।

पूर्व: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में कृषि भूमि के टुकड़े मौजूद हैं।

दक्षिण: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में कृषि भूमि के टुकड़े मौजूद हैं।

पश्चिम: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में निर्मित संरचनाओं के बीच दूर-दूर भूखंड मौजूद हैं। विनियमित क्षेत्र में निर्मित संरचनाओं के बीच कृषि भूमि और खुले भूखंड मौजूद हैं।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

विकासनगर-चकराता रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग-123) के रास्ते से संरक्षित संस्मारक तक पहुंचा जा सकता है, जो देहरादून को आस-पास के गांवों से जोड़ता है। मुख्य सड़क से एक संकरी गली संरक्षित संस्मारक तक जाती है। पहुंच मार्ग में वाहनों की पहुंच के लिए कंक्रीट की सड़क के साथ-साथ एक पक्का पैदल मार्ग भी शामिल है।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई (क्षेत्र-वार):

उत्तर: सेना शिविर तक सीमित पहुंच और घनी वनस्पति के कारण कोई निर्मित क्षेत्र दिखाई नहीं देता।

पूर्व: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई G से G+1 संरचनाओं तक है।

दक्षिण: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई G से G+1 संरचनाओं तक है।

पश्चिम: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई G से G+2 संरचनाओं तक है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

संस्मारक के प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में अभी तक किसी अन्य राज्य संरक्षित संस्मारक या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन के होने की सूचना नहीं है।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पेयजल सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, सांस्कृतिक सूचना बोर्ड, बैठने की व्यवस्था और संकेतक मौजूद हैं।

5.2.8 संस्मारक तक पहुंच:

संरक्षित संस्मारक का प्रवेश द्वार विकासनगर-चकराता रोड (NH-123), से जुड़ा हुआ है, जो देहरादून को आस-पास के गांवों से जोड़ता है। मुख्य सड़क से एक संकरी गली निकलती है, जो संरक्षित संस्मारक तक जाती है। पहुँच मार्ग में वाहनों की पहुँच के लिए कंक्रीट की सड़क के साथ-साथ एक पक्का पैदल मार्ग भी शामिल है। आगंतुक एक संकरी, ढलान वाली गली से जाते हैं जो संरक्षित संस्मारक तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी पर समाप्त होती है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

यहां बुनियादी सुविधाएं, जैसे जलापूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्ट्रीटलैंप आदि मौजूद हैं।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र की प्रस्तावित ज़ोनिंग:

किसी भी मौजूदा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई विकास योजना तैयार नहीं की गई है और न ही उसे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है। इसलिए, वर्तमान में कोई ज़ोनिंग प्रस्तावित नहीं है।

अध्याय VI

संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 वास्तुकला, छवि-चित्रण, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

वास्तुकला महत्व:

ये शिलालेख एक बड़ी क्वार्टजाइट चट्टान पर उत्कीर्ण हैं, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और आधार पर गहराई लगभग 2.4 मीटर है। चट्टान की दक्षिण-पूर्वी आकार सतह समतल की गई है, लेकिन समान रूप से नहीं, जो हालांकि सतह के प्राकृतिक रूप के समान है तथा जो प्राकृतिक और वास्तुशिल्प तत्वों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाता है।

छवि-चित्रण महत्व:

प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेखों में अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति समर्थन को दर्शाया गया है, जिसमें करुणा, सत्यनिष्ठा, आत्म-नियंत्रण और सौम्यता जैसे गुणों पर जोर दिया गया है, जबकि हिंसा, क्रूरता और ईर्ष्या की निंदा की गई है। ये शिलालेख अशोक के नैतिक शासन और सामाजिक सद्भाव के दृष्टिकोण के समृद्ध छवि-चित्रण को दर्शाते हैं।

ऐतिहासिक महत्व:

यह शिलालेख अशोक के सभी 14 शिलालेखों वाला एकमात्र शिलालेख है, जो इसे एक अद्वितीय ऐतिहासिक कलाकृति बनाता है।

पुरातात्विक महत्व:

कालसी में शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून जिले से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालसी में अशोक के शासनकाल के दौरान उत्कीर्ण किए गए थे। संरक्षित संस्मारक के आसपास भूमि में दबी इतिहास की कई परतें के कारण इस स्थल का पुरातात्विक महत्व है। उस काल के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में ये लेख मूल्यवान और उनके संदर्भ की जानकारी प्रदान करते हैं।

6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

संरक्षित संस्मारक विकासात्मक दबावों के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह एक विस्तारित शहरी परिदृश्य के निकट है। संरक्षित संस्मारक को जोड़ने वाली सड़क पर आवासीय इमारतें इसकी सीमाओं को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त, संरक्षित संस्मारक बाढ़ के प्रति भी संवेदनशील है, जो अनियमित शहरीकरण और अतिक्रमणों के कारण और भी बदतर हो जाती है। ये संरचनाएं प्राकृतिक जल निकासी मार्गों को बाधित करती हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, खासकर भारी बारिश के दौरान, जिससे स्थल की संपूर्णता को खतरा होता है।

6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित संस्मारक से आवासीय इमारतें, खाली भूखंड और कृषि भूमि दिखाई देती है।

संरक्षित संस्मारक के स्थान और क्षेत्र के भूभाग के कारण, यह पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी तरफ से दिखाई नहीं देता है। संरक्षित संस्मारक विनियमित क्षेत्र के दक्षिणी छोर से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की अधिकांश भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, साथ ही कुछ वाणिज्यिक, खुदरा और आवासीय उपयोग भी किए जाते हैं। यहां कई खाली भूमि के टुकड़े भी हैं। संरक्षित संस्मारक के उत्तर में एक सेना शिविर और एक आरक्षित वन है।

6.5 संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर:

संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में आज तक कोई सूचित पुरातात्विक विरासत अवशेष नहीं पाए गए हैं।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

संरक्षित संस्मारक के साथ कोई सांस्कृतिक परिदृश्य जुड़ा हुआ नहीं है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और संस्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

संरक्षित संस्मारक पूर्व की ओर यमुना नदी के किनारे कृषि भूमि से घिरा हुआ है और उत्तर की ओर आरक्षित वन है। ये महत्वपूर्ण भू-दृश्य संस्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाते हैं।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

खुले स्थानों का उपयोग मुख्यतः कृषि के लिए किया जाता है जबकि निर्माण कार्य आवासीय उद्देश्यों के लिए होते हैं।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

संरक्षित संस्मारक के साथ कोई पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं जुड़ी हैं।

6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

उत्तर दिशा में घनी वनस्पति वाला पहाड़ी क्षेत्र दिखाई देता है। दक्षिण दिशा में यमुना नदी और उसके आगे तक कुछेक आवासीय भवनों के साथ कृषि भूमि दिखाई देती है। इसी प्रकार, पूर्वी दिशा में यमुना नदी के किनारे कृषि भूमि दिखाई देती है। विनियमित क्षेत्र की दक्षिणी दिशा से संरक्षित संस्मारक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

संरक्षित संस्मारक के पास कोई पारंपरिक वास्तुकला नहीं देखी जाती।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना:

किसी भी मौजूदा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई विकास योजना तैयार नहीं की गई है या सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराई गई है।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित स्थल के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी कि क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम

कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 <u>नया निर्माण:</u>

6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

चूंकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कोई भूमि उपयोग योजना/मास्टर प्लान/ज़ोर्निंग विनियम तैयार नहीं किए गए हैं, इसलिए ये धरोहर उप-विधि लागू रहेंगे। "भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, उत्तराखंड, 2011" में निर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम, जब भी संशोधित किए जाएंगे, लागू होंगे। हालांकि, इस धरोहर उप-विधि में निर्दिष्ट ऊंचाई और अन्य मानदंड संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

हालांकि, कृषि क्षेत्रों में, निर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आने वाले निर्माणों की अनुमति दी जा सकती है। बागों और कृषि भूमि पर इन अनुमेय निर्माणों में खेती में लगे लोगों के लिए आवास और सहायक भवनों के लिए संरचनाओं का निर्माण या फसलों, चारा, खाद, कृषि उपकरणों और अन्य इसी तरह की सुविधाओं के भंडारण के लिए संरचनाओं का निर्माण शामिल है।

1. **स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं, आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:**

   नए निर्माण या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **7.50 मीटर** से अधिक नहीं होगी (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं।

   जहां तक संभव हो, बेसमेंट के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. **उपयोग:**

   चूंकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र के लिए कोई भूमि उपयोग निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान भूमि उपयोग को बरकरार रखा जा सकता है।

3. अग्रभाग डिजाइन:

(i) नए निर्माण का अग्रभाग डिजाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए, ताकि यह संरक्षित संस्मारक और आसपास के क्षेत्र की समग्र विरासत विशेषता पर हावी न हो। अग्रभाग का डिजाइन सूक्ष्म, प्लास्टर किया हुआ और मिट्टी के रंगों (सफेद, ग्रे, बेज, भूरा आदि) में रंगा हुआ होना चाहिए।

(ii) विनियमित क्षेत्र में स्थित सभी भवनों के लिए दुकानों और आवासों के अनौपचारिक विस्तार को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

(iii)सभी ऐतिहासिक इमारतों, दुकानों के अग्रभागों को मूल डिजाइन (ब्रैकेट, छज्जा, मेहराबदार दरवाजे, खिड़कियां आदि की श्रृंखला) के अनुसार बनाए रखे जाने की जरूरत है।

(iv)प्लंबिंग और बिजली की सेवाएं व्यवस्थित होनी चाहिए और इमारत के बाहरी हिस्से में नहीं होनी चाहिए।

4. छत का डिज़ाइन:

(i) समतल छत या टाइलों की ढलान वाली छत का पालन किया जा सकता है।

(ii) भवन की छत पर एल्युमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का इस्तेमाल करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

(iii)सभी सेवाएँ जैसे कि बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ, छत पर पानी के भंडारण टैंक या छत पर रखे बड़े जनरेटर सेट को स्क्रीन दीवारों (ईंट/सीमेंट शीट, लौवर, जालियाँ या ऐसे अन्य डिज़ाइन तत्व) का उपयोग करके ढ़क दिया जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

5. निर्माण सामग्री:

संरक्षित संस्मारक की सभी सड़कों के अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जा सकती है। बाहरी सज्जा के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे एल्युमिनियम क्लैडिंग, ग्लास ईंटें और कोई अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री का उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ईंट और पत्थर जैसी पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

6. रंग:

बाहरी रंग संरक्षित संस्मारक के साथ सामंजस्य रखते हुए तटस्थ स्वर का होना चाहिए जैसे कि बफ सैंडस्टोन रंग, सफेद, बेज और अन्य मिट्टी के रंग जो संरक्षित संस्मारक और उसके एकदम आसपास के वातावरण के साथ कोई विपरीतता उत्पन्न न करें।

7. अन्य विनियम:

फुट-ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग या ऐसी किसी भी ऐसी परियोजना जैसे किसी भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अध्यधीन होगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन:

संरक्षित संस्मारक के आसपास व्यवहार्यता के अनुसार अतिरिक्त आगंतुक सुविधाओं और प्रसाधनों पर विचार किया जा सकता है।

अध्याय VII
स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशें:

i. संरक्षित संस्मारक या उसके आस-पास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल साइन, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग संकेतक के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

ii. संरक्षित संस्मारक के पास, विशेष रूप से संस्मारक की दीवारों पर होर्डिंग, बिलबोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

iii. बाढ़ संभावित क्षेत्र में आम जनता की सुरक्षा के लिए स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए किसी भी उपाय की अनुमति दी जा सकती है।

iv. संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में आवागमन के लिए पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संस्मारक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

v. वर्षा जल संचयन जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. जब भी मास्टर प्लान, क्षेत्रीय योजना या विकास योजना तैयार की जाए या उसमें संशोधन किया जाए तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों और उनके प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

ii. क्षेत्र को प्लास्टिक एवं पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

iii. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-Laws for the Protected Monument **- "Asoka Rock Edict at Kalsi, District – Dehradun, Uttarakhand"** prepared by the Competent Authority, in consultation with the School of Architecture and Planning, DIT University, Dehradun, were published on 22.12.2022, as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for "Asoka Rock Edict at Kalsi, District – Dehradun, Uttarakhand"

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.1 Short title, Extent and Commencements:-

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage Bye-Laws 2025 of Protected Monument – **"Asoka Rock Edict at Kalsi', District– Dehradun, Uttarakhand"**.

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Protected Monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended,

(d) "Archaeological Officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act,

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply or water

for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "Government" means The Government of India,

(i) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monument or of securing convenient access thereto,

(j) "owner" includes:

(i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner, and

(ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in- office of any such manager or trustee,

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(m) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(n) "Protected Monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(p) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(q) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monument. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the Prohibited Area, the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the Regulated Area, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws:

Section 20E of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 22 of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments. Ibid Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of the AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Protected Monument - Asoka Rock Edict at Kalsi, District – Dehradun, Uttarakhand

3.1 Location and Setting of the Monument:

The Protected Monument is situated in Kalsi, Dehradun.

The geographical coordinates of its location are: **Latitude 30°31'04.8"N; Longitude 77°50'53.6"E**.

The Protected Monument is surrounded by agricultural land along the Yamuna River on the Eastern side and a reserve forest on the Northern side.

The nearest airport is Jolly Grant Airport, Dehradun, located at a distance of 75 kilometres, the nearest railway station is Dehradun Railway Station, located at a distance of 44 kilometres and the nearest bus terminal is Dehradun Bus Terminal, located at a distance of 46 km from the Protected Monument.

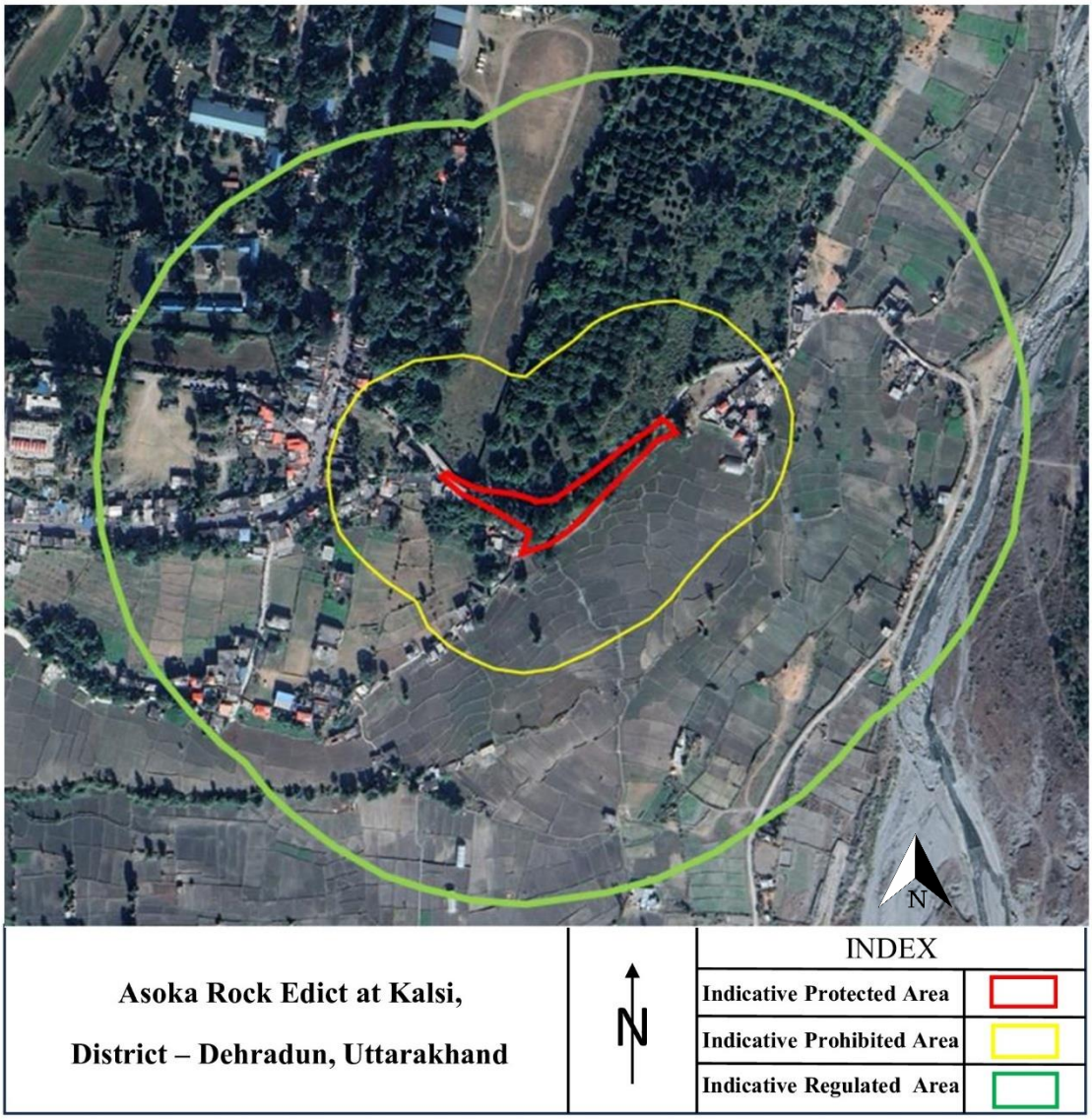

Figure 1: Satellite Imagery showing location of the Asoka Rock Edict at Kalsi, District – Dehradun, Uttarakhand

3.2 Protected boundary of the Monument:

The Protected Boundary of the Monument - **"Asoka Rock Edict at Kalsi, District – Dehradun, Uttarakhand"** may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Notification of **"Asoka Rock Edict at Kalsi, District – Dehradun, Uttarakhand"** may be seen at **Annexure-II**.

3.3 History of the Monument:

The Rock Edict at Kalsi is the only inscription containing all 14 sets of Asoka's edicts, written in Prakrit and Brahmi script. It highlights his support of Buddhist Dharmas and his compassionate administration focused on the welfare of his people. Asoka's Dharmas include virtues such as compassion, truthfulness, self-control and gentleness, while condemning violence, cruelty and jealousy. The edict emphasizes respect for elders, generosity to family and friends, moderation in wealth accumulation and kindness toward all living beings. These principles reflect Asoka's vision of ethical governance and societal harmony.[1]

3.4 Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The edicts are engraved on a large quartzite rock on the Western bank of the Yamuna River, located approximately 2 kilometres from Kalsi in Dehradun District, Uttarakhand. The inscription is named the Kalsi Recension after the nearby village. The boulder measures 3 metres high, 3 metres wide and about 2.4 metres deep at the base. The South-Eastern face is leveled, though unevenly, following the natural contours of the surface. The Protected Monument is housed in a domical structure to protect it from extreme weather conditions.

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of Monument – condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monument is the exclusive domain of Archaeological Survey of India. The photographs depicting the present condition of the Protected Monument are appended at **Annexure-III**.

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The average number of visitors at the site is approximately 70 to 80 persons daily. During the Buddha Purnima yatra season, this number goes up to 1,000 – 1,200 persons per day.

[1] Archaeological Survey of India (Dehradun Circle)

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the Local Area Development Plans

4.1 Existing zoning:

No zoning regulations or master plan have been prepared as yet by the Local Authorities. The Protected Monument lies in the area of **Kalsi Gram Panchayat**.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

No Land-Use Plan, Master Plan, Zoning Regulations have been prepared by the Local Authorities, therefore, when formulating Land-Use Plans, Master Plans, Zoning Regulations, etc., it is imperative to consider and incorporate the provisions outlined in these Heritage Bye-Laws.

All other development control norms and building regulations specified in the '**Bhavan Nirman Evam Vikas Upvidhi, Uttarakhand, 2011**', prepared by the Housing Department, Government of Uttarakhand, as and when amended shall be applicable. However, the building related parameters specified in Para 6.13 of Chapter VI of these Heritage Bye-Laws shall be applicable in the Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ Survey Plan of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records

5.1 Survey Plan of the Monument:

The Survey Plan of **Asoka Rock Edict at Kalsi, District – Dehradun, Uttarakhand** may be seen at **Annexure-I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

Protected Area is 1.15 Acres, approximately.

Prohibited Area is 21.31 Acres, approximately.

Regulated Area is 107.42 Acres, approximately.

5.2.2 Description of built up area:

North: No built up area owing to the presence of an Army Camp in the Prohibited and Regulated Areas.

East: A few residential buildings are present in the Prohibited and Regulated Areas.

South: A few residential buildings are present in the Prohibited and Regulated Areas.

West: In the Prohibited Area, residential and commercial buildings are present. In the Regulated Area, dense residential and commercial buildings are present.

5.2.3 Description of green/open spaces:

North: Dense vegetation(Army Camp) is present in the Prohibited and Regulated Areas.

East: Agricultural land parcels are present in the Prohibited and Regulated Areas.

South: Agricultural land parcels are present in the Prohibited and Regulated Areas.

West: Scattered open plots are present among the built structures within the Prohibited Area. In the Regulated Area, agricultural land and open plots are present among the built structures.

5.2.4 Area covered under circulation – roads, footpaths, etc.

The Protected Monument is accessible via Vikasnagar-Chakrata Road (National Highway-123), which connects Dehradun to nearby villages. A narrow lane extends from the main road, leading to the Protected Monument. The access route includes a paved pedestrian pathway alongside a concrete road for vehicular access.

5.2.5 Existing Heights of the buildings (Zone wise):

North: No built up area visible owing to restricted access to the Army Camp and dense vegetation.

East: The height of the structures/buildings ranges from G to G+1 structures.

South: The height of the structures/buildings ranges from G to G+1 structures.

West: The height of the structures/buildings ranges from G to G+2 structures.

5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

No State Protected Monuments or listed heritage buildings by Local Authorities are reported as yet, in the Prohibited and Regulated Area of the Monument.

5.2.7 Public amenities:

Public amenities such as drinking water facility, public toilets, cultural notice board, seating and signages are present.

5.2.8 Access to Monument:

The entrance to the Protected Monument is connected to Vikasnagar-Chakrata Road (NH-123), which links Dehradun to nearby villages. A narrow lane extends from the main road, leading to the Protected Monument. The access route includes a paved pedestrian pathway alongside a concrete road for vehicular access. Visitors follow a narrow, sloping lane that culminates in a staircase to access the Protected Monument.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

The basic infrastructure facilities, such as water supply, stormwater drainage, sewage, solid waste management and streetlamps are present.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

There is no development plan prepared and made available in the public domain by any of the current Local Authorities. Therefore, at present, no zoning is proposed.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the Monument

6.1 Architectural, Iconographic, historical and archaeological value:

Architectural Value:

The edicts are engraved on a large quartzite rock, measuring 3 metres high, 3 metres wide and about 2.4 metres deep at the base. The South-Eastern face of the boulder is leveled, albeit unevenly, following the natural contours of the surface, showcasing a harmonious blend of natural and architectural elements.

Iconographic Value:

The edicts, written in Prakrit and Brahmi script, highlight Asoka's support for Buddhist Dharmas, emphasizing virtues such as compassion, truthfulness, self-control and gentleness, while condemning violence, cruelty and jealousy. These inscriptions reflect the rich iconography of Asoka’s vision of ethical governance and societal harmony.

Historical Value:

The Rock Edict is the only inscription containing all 14 sets of Asoka's edicts, making it a unique historical artifact.

Archaeological Value:

The Rock Edict at Kalsi, located approximately 2 kilometres from Kalsi in Dehradun District, Uttarakhand, was inscribed during Asoka's reign. The site’s archaeological potential is significant, with layers of history buried within the earth surrounding the Protected Monument. The inscriptions and their context offer valuable insights into the period's religious, social and political context.

6.2 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure etc.):

The Protected Monument is vulnerable to developmental pressures due to its proximity to an expanding urban landscape. Residential buildings on the connecting road to the Protected Monument impact its boundaries. Additionally, the Protected Monument is vulnerable to flooding, which is exacerbated by unregulated urbanisation and encroachments. These structures obstruct natural drainage paths, increasing the risk of flooding, particularly during heavy rainfall, threatening the site’s integrity.

6.3 Visibility from the Protected Monument or Area and visibility from Regulated Area:

Residential buildings, vacant plots and agricultural land are visible from the Protected Monument.

Due to the location of the Protected Monument and the terrain of the area, it is not visible from the Western, Northern and Eastern sides. The Protected Monument is clearly visible from the Southern end of the Regulated Area.

6.4 Land use to be identified:

Most of the land in the Prohibited and Regulated Area is used for agriculture, with some commercial, retail and residential uses. There are also several vacant land parcels. An army camp and a reserved forest are on the North of the Protected Monument.

6.5 Archaeological heritage remains other than Protected Monument:

No archaeological heritage remains are found as yet within the Prohibited and the Regulated Areas of the Protected Monument.

6.6 Cultural landscapes:

There is no cultural landscape associated with the Protected Monument.

6.7 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting monuments from environmental pollution:

The Protected Monument is surrounded by agricultural land along the Yamuna River on the Eastern side and a reserve forest on the Northern side. These significant landscapes protect the Monument from environmental pollution.

6.8 Usage of open space and constructions:

Open spaces are primarily used for agriculture, while constructions are used for residential purposes.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

No traditional, historical and cultural activities are associated with the Protected Monument.

6.10 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

To the North, hilly terrain covered with dense vegetation is visible. To the South, agricultural land with a few residential buildings, extending toward the River Yamuna and beyond, is visible. Similarly, agricultural land along the River Yamuna with hills is visible in the Eastern direction. The Protected Monument is clearly visible from the Southern side of the Regulated Area.

6.11 Traditional Architecture:

No traditional architecture is observed near the Protected Monument.

6.12 Developmental plan, as available, by the local authorities:

There is no development plan prepared or made available in the public domain by any of the current Local Authorities.

6.13 Permissible building related parameters:

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built-open relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminum Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building material should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20C(2) of the AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 6 (IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Site, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3 A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958, as amended, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Monument.

6.13.3 B Regulated Area:

Since, no Land Use Plan/Master Plan/ Zoning Regulations have been prepared by the local authorities, these Heritage Bye-Laws shall prevail. All the development control norms and building regulations specified in the "Bhavan Nirman Evam Vikas Upvidhi, Uttarakhand, 2011" as and when amended shall be applicable. However, the height and other parameters specified in this Heritage Bye-Law shall be applicable in the Regulated Area of the protected monument.

However, in the agricultural fields, constructions that fall under specified exemptions may be permitted. These permissible constructions on the orchards and agricultural land include construction of structures for dwellings and ancillary buildings for people engaged in farming or structures for storage of crops, fodder, manure, agricultural tools and other similar facilities.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:**

   The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings shall not exceed **7.50 metres** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof.

   Construction of basement should be discouraged as far as feasible.

2. **Usage:**

   Since no land use is specified for the area by the Local Authorities, present land use may be retained.

3. **Façade design:**

   (i) The façade design of new construction must be minimalistic in nature, so that it does not overpower the Protected Monument and the overall heritage character of the surrounding area. The façade design should be subtle, plastered and painted in earthy colours (white, grey, beige, brown etc.)

   (ii) Informal extensions of shops and residences are to be discouraged for all the buildings located within Regulated Area.

   (iii) Façades of all historic buildings, shop houses need to be maintained as per original design (series of brackets, chajjas, arched doors, windows etc.).

   (iv) Plumbing and electrical services shall be organized and not on the exterior of the building.

4. Roof design:

(i) Flat roof, or sloping roof with tiles may be followed.

(ii) Erection of structures, even of temporary nature, using materials such as Aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the building.

(iii) All services such as large air conditioning units, rooftop water storage tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cement sheets, louvers, jaalis or other such design elements). All of these services should be included in the maximum permissible height.

5. Building material:

Consistency in building materials and colour along all street façades of the Protected Monument may be maintained. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes. Traditional building materials such as brick and stone should be used.

6. Colour:

The exterior colour should be of a neutral tone in harmony with the Protected Monument such as buff sandstone colour, white, beige and other earth colours which do not create a harsh contrast with the Protected Monument and its immediate surroundings.

7. Other Regulations:

Proposal for construction of any large-scale public infrastructure project like foot-over bridges, flyover, multi-level parking or any such project will be subject to a detailed Heritage Impact Assessment report.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Additional visitor facilities and amenities may be considered in the vicinity of the Protected Monument as per feasibility.

CHAPTER VII
Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monument or its immediate surrounding areas.

ii. No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters should be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the monument.

iii. Any measures taken by the Local bodies for safety and security of the general public at large in the flood prone zone may be permitted.

iv. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monument may be encouraged to mitigate adverse impact on the monument due to vehicular emissions and vibrations.

v. Construction of green buildings including best practices like rainwater harvesting should be encouraged.

7.2 Other recommendations:

i. Whenever the Master Plan, Zonal Plan, or Development Plan is prepared or amended, it should clearly show all Protected Monuments of national importance and their Prohibited and Regulated Areas.

ii. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

iii. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE-I

संस्मारक - अशोक का शिलालेख कालसी, जिला-देहरादून, उत्तराखंड की सर्वेक्षण योजना

Survey plan of the Monument - Asoka Rock Edict at Kalsi, District – Dehradun, Uttarakhand

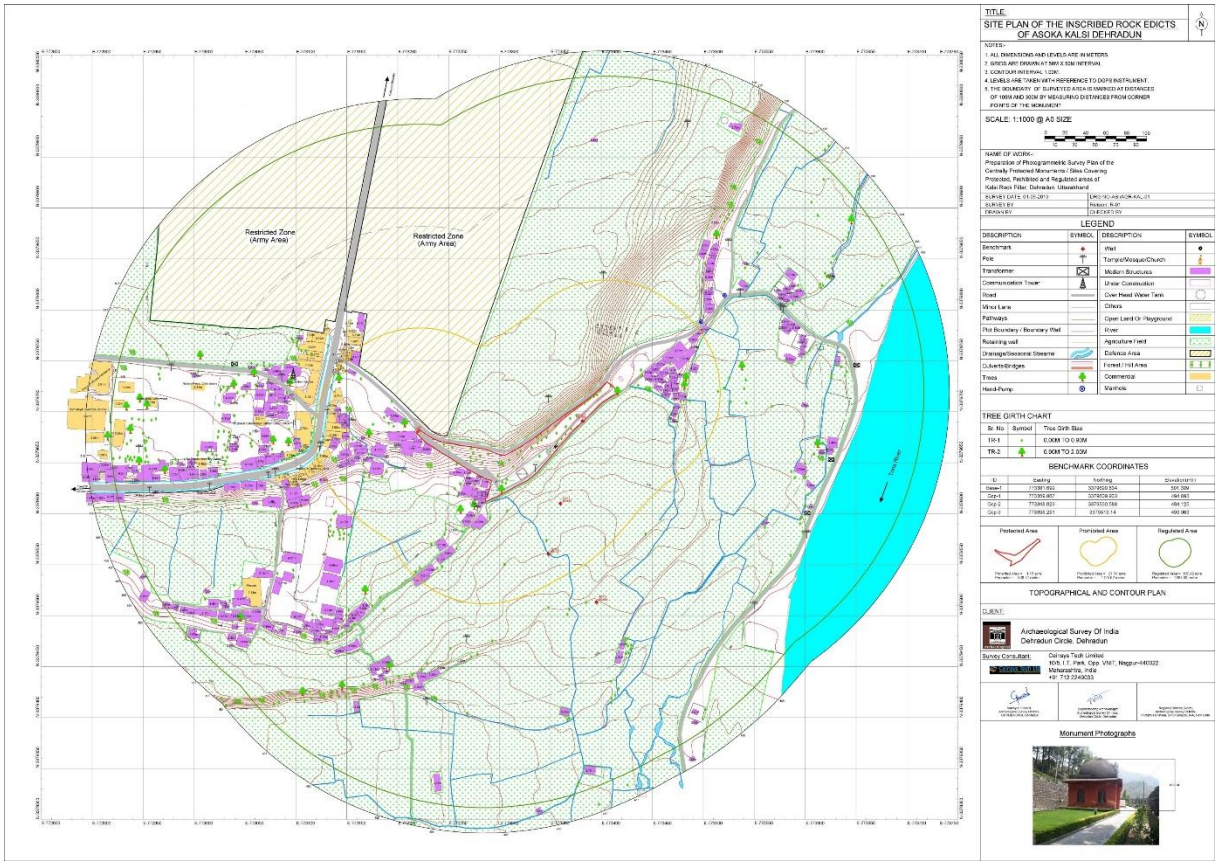

अनुलग्नक-II
ANNEXURE-II

संस्मारक की अधिसूचना
Notification of the Monument

INDUSTRIES DEPARTMENT.

MISCELLANEOUS.

The 19th November 1909.

ADDENDUM.

No. 1740—XVIII/34.—In Notification No. 1453—XVIII/34, dated the 30th September 1909, relating to the horse and cattle fairs and shows to be held in the United Provinces during the year 1909-10, include the following :—

Sultanpur agricultural exhibition and cattle fair ... ... 7th to 10th March 1910.

By order of the Hon'ble the Lieut.-Govr., United Provinces,

R. W. GILLAN,

Secretary to Government, United Provinces.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

BUILDINGS AND ROADS BRANCH.

Dated Allahabad, the 23rd November 1909.

No. 3119—M/367.—In exercise of the powers conferred by Section 3 (3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh is pleased to confirm this Department Notification No. 2067—M/367, dated the 27th July 1909, published at page 367, Part I, of the *United Provinces Gazette*, dated the 31st July 1909, declaring the Asoka Pillar at Kalsi in the Dehra Dun District as protected under the said Act.

No. 3123—M/367.—In exercise of the powers conferred by Section 3 (3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh is pleased to confirm this Department Notification No. 2071—M/367, dated the 27th July 1909, published at page 640, Part I, of the *United Provinces Gazette*, dated the 31st July 1909, declaring the Lakha Mandal temple and images in its vicinity in the Dehra Dun District as protected under the said Act.

Dated Allahabad, the 24th November 1909.

No. 3131—M/357.—In exercise of the powers conferred by section 3 (1) of Act VII of 1904 (Ancient Monuments Preservation Act) His Honour the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh is hereby pleased to propose to declare the Jaswant Singh-ki-Chhatri situated in village Rajwara, tahsil Agra, in the Agra District, to be a protected Monument and to direct that no one will destroy, remove, alter or deface in any manner or build on or near the site of the Monument without having first obtained permission from the Government or its authorised officers. Any objection to the above proposal received in writing by the Local Government within one month from the date of this notification will be taken into consideration.

Dated Allahabad, the 25th November 1909.

No. 3135—M/459.—Notice is hereby given that Friday, the 10th December 1909, is the day fixed for the next meeting of the Board of Examining Engineers at Cawnpore for granting of certificates under the United Provinces Steam Boilers and Prime Movers Act I of 1899.

2. The applications for the aforesaid meeting will be received by the Chairman, Board of Examining Engineers, at the Municipal Office, Cawnpore, not later than the 6th December 1909.

1	2	3	4	5	6	7
6.	Hardala	7	Bhadravati	Chandrapur	313.46	Full.
7.	Jena Neuli	8	Bhadravati	Chandrapur	135.00	Part.
8.	Belora Matto	7	Bhadravati	Chandrapur	391.15	Full.
9.	Takli	7	Bhadravati	Chandrapur	289.00	Full.
10.	Gowardip	8	Bhadravati	Chandrapur	43.96	Full.
11.	Panwadala	7	Bhadravati	Chandrapur	27.00	Part.
				Total=	2915.28 hectares (approximately) or 7203.94 acres (approximately)	

Boundary Description :

A—B	Line starts from point 'A' and passes along the outer boundary of villages Hardala, Kadholi, Baranj Mokasa and meets at point 'B'.
B—C—D—E	Line passes along the outer boundary of villagesChak Baranj and Baranj Mokasa and meets at point 'E'.
E—F	Line passes through villages Somnala Rith and Jena-Neuli and meets at point 'F'.
F—G	Line passes along the outer boundary of village Gowardip, then proceeds through village Panwadala and meets at point 'G'.
G—A	Line passes through village Panwadala then proceeds along the outer boundary of villages Takli and Hardala and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/12/87-CA]
SAMAY SINGH, Under Secy.

शुद्धिपत्र

का. आ. 2760—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 25 फरवरी, 1987 के पृष्ठ 1 से 3 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 120 (अ), तारीख 25 फरवरी, 1987 में,— पृष्ठ 2 पर —

(i) पंक्ति 10 में "या ऐसे" के स्थान पर "या ऐसी" पढ़ें।

(ii) अनुसूची के स्तम्भ "ग्राम का नाम" के नीचे क्रम सं. 5 के सामने "बोड़गांव" शब्द के स्थान पर और अन्यत्र भी जहां-जहां "बोड़गांव" शब्द आता है "बोरगांव" शब्द पढ़ें।

पृष्ठ 3 पर सीमा वर्णन शीर्षक के नीचे,—

(i) "ख—ग" में "41 से 50" के स्थान पर "41 और 50" पढ़ें।

(ii) "च-छ" में "29/1क-29/1ख-29/1ग-29/2-29/3, 20/3" के स्थान पर "29/1क/29/1ख-29/1ग-29/2-29/3" पढ़ें।

(iii) "छ-ज" में, "अहेरी से गुजरती है" के स्थान पर "अहेरी से" पढ़ें।

[सं. 43015 (4)/87—सी ए]
समय सिंह, अवर सचिव

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 24 सितंबर, 1987

(पुरातत्व)

का. आ. 2761.—केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 36 के अनुसरण में, भूतपूर्व संयुक्त प्रांत में लोक निर्माण विभाग, भवन और सड़क शाखा सं. 3119/एम/367, तारीख 23 नवंबर, 1909 में निम्नलिखित शुद्धि करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "कालसी में अशोक स्तम्भ" शब्दों के स्थान पर "कालसी में अशोक शिलालेख" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 3/3/84-एम]

DEPARTMENT OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 24th September, 1987

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 2761.—In pursuance of Section 36 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following correction in the notification of the erstwhile United Province in the Public Works Department, Buildings and Roads Branch No. 3119-M/367, dated the 23rd November, 1909, namely :—

In the said notification for the words "Asoka Pillar at Kalsi" the Words "Asoka Rock Edict at Kalsi", shall be substituted.

[No. 3/3/84-M]

का. आ. 2762 :—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संस्कृति विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना सं. का. आ. 3186 तारीख 21 अक्तूबर, 1980 को अधिक्रान्त करते हुए उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है।

उक्त संस्मारक से हितबद्ध किसी व्यक्ति से दो मास की अवधि के भीतर प्राप्त किसी आक्षेप पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

मूलरूप की टंकित अधिसूचना

Original Typed Notification

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

BUILDINGS AND ROADS BRANCH.

Dated Allahabad, the 23rd November 1909.

No. 3119_M/367.- The exercise of the powers conferred by Section 3 (3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Qudh is pleased to confirm this Department Notification No. 2067- M/367, dated the 27th July, 1909, published at page 367, Part I, of the *United Provinces Gazette*, dated the 31st July 1909, declaring the Asoka Pillar at Kalsi in the Dehra Dun District as protected under the said Act.

DEPARTMENT OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 24th September, 1987

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 2761. The pursuance of Section 36 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following correction in the notification of the erstwhile United Province in the Public Works Department, Buildings and Roads Branch No. 3119-M/367, dated the 23rd November 1909, namely :-

In the said notification for the words “Asoka Pillar at Kalsi” the words “Asoka Rock Edict at Kalsi”, shall be substituted.

[No. 3/3/84-M]

अनुलग्नक-III
ANNEXURE-III

संरक्षित क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के चित्र
Images of the Protected Monument and its surrounding areas

चित्र 1: मुख्य द्वार का दृश्य
Image 1: View of the Main Entrance

चित्र 2: संरक्षित संस्मारक के प्रवेश द्वार का दृश्य
Image 2: View of the Entry Gate to the Protected Monument

चित्र 3: संरक्षित संस्मारक को आच्छादित करने वाली गुंबदीय संरचना
Image 3: Domical structure covering the Protected Monument

चित्र 4: अशोक का शिलालेख, कालसी का दृश्य
Image 4: View of Ashoka Rock Edict, Kalsi

चित्र 5: शिलालेख पर उत्कीर्ण हाथी का चित्र

Image 5: Image of Elephant carved on the Rock edict

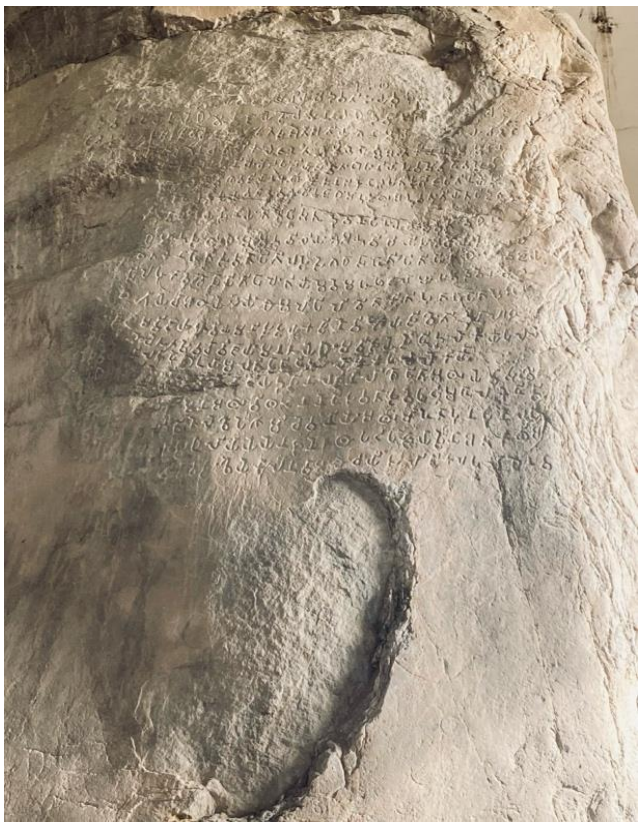

चित्र 6: शिलालेख पर ब्राह्मी भाषा में लिखा लेख

Image 6: Inscription in Brahmi Language carved on the Rock edict

चित्र 7 और 8: संरक्षित संस्मारक से उत्तर की ओर दिखाई देने वाला क्षितिज

Image 7 and 8: Northern side skyline as visible from the Protected Monument

चित्र 9 और 10: संरक्षित संस्मारक से दक्षिण की ओर दिखाई देने वाला क्षितिज

Image 9 and 10: Southern side skyline as visible from the Protected Monument

चित्र 11 और 12: संरक्षित संस्मारक से पश्चिम की ओर दिखाई देने वाला क्षितिज
Image 11 and 12: Western side skyline from the Protected Monument